भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3325

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

3325 श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:
श्री राहुल गांधी
श्री राजा राम सिंहः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत है और यदि हां, तो इसका राज्य / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के बाद से अनुसूचित जनजाति समुदाय और अन्य परंपरागत वन निवासी (ओटीएफडी) से संबंधित लोगों को प्रदान किए गए व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) और सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) टाइटलों की संख्या का राज्य / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि कई राज्यों में कई पात्र लाभार्थियों को टाइटलों से वंचित किया गया है और यदि हां, तो ऐसे लाभार्थियों के लिए उनके आईएफआर का दावा करने हेतु क्या उपचारात्मक तंत्र मौजूद हैं;

(घ) समीक्षा के लिए भेजे गए और फिर से अस्वीकृत किए गए अस्वीकृत दावों सहित दर्ज किए गए और अस्वीकृत आईएफआर दावों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) एफआरए के तहत पट्टे देने के लिए सरकार को प्राप्त आवेदनों-व्यक्तिगत और सामूहिक, की संख्या कितनी है और गत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की वर्षवार और राज्य / संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(च) सरकार द्वारा वन और अन्य विभागों के उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है जो अवैधता के नाम पर आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को बेदखल कर रहे हैं; और

(छ) क्या आदिवासियों और अन्य वनवासियों (ओएफडी) को वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों की अस्वीकृति के कारण बेदखल किया गया है और यदि हां, तो 2019 से बेदखल किए गए आदिवासियों और ओएफडी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क), (ख), (घ) और (ङ): अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के

लिए जिम्मेदार हैं, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से मासिक प्रगति रिपोर्ट मांगता है। एफआरए 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। अधिनियम दावा प्रक्रिया के लिए एक संस्थागत ढांचे का प्रावधान करता है, जहां पहले ग्राम सभा द्वारा दावों को सर्वप्रथम आमंत्रित किया जाता है और उनकी समीक्षा की जाती है और फिर उप-मंडल स्तरीय समिति को भेजा जाता है। इसके बाद, जिला स्तरीय समिति दावों पर निर्णय लेती है। इन समितियों का गठन राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28 फरवरी, 2025 तक संचयी रूप से कुल 25,03,453 अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिनमें 23,85,334 व्यक्तिगत और 1,18,119 सामुदायिक अधिकार पत्र शामिल हैं। इसी प्रकार, ग्राम सभा स्तर पर कुल 48,99,903 व्यक्तिगत दावे दायर किए गए और कुल 18,03,183 दावे खारिज किए गए। वितरित अधिकार पत्रों (व्यक्तिगत और सामुदायिक), दायर किए गए दावों और खारिज किए गए और लंबित दावों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक** में है। अनुसूचित जनजाति समुदाय और अन्य परंपरागत वन निवासियों (ओटीएफडी) को प्रदान किए गए अधिकार पत्रों का अलग-अलग विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। एफआरए के तहत पट्टे/स्वामित्व प्रदान करने के लिए प्राप्त दावों (व्यक्तिगत और सामुदायिक) की संख्या, पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकार किए गए (स्वामित्व वितरित) और अस्वीकृत दावों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट - एफआरए-एमपीआर- https://tribal.nic.in/FRA.aspx पर उपलब्ध है।

(ग) और (च): अधिनियम में बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा के प्रावधान तथा पीड़ित द्वारा एसडीएलसी और डीएलसी (धारा 6(2) और 6(4)) को याचिका दायर करने का प्रावधान भी है। इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति को वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहितीकरण की प्रक्रिया की निगरानी करने, क्षेत्र स्तर की समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी होती है।

मंत्रालय सभी राज्य सरकारों से एफआरए में निहित प्रावधानों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहा है कि सभी पात्र दावेदारों को उनके देय हक के अधिकार प्रदान किए जाएं।व्यापक कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय राज्यों से एफआरए एटलस तैयार करने का भी आग्रह कर रहा है ताकि संभावित वन क्षेत्रों का मानचित्रण किया जा सके जिन्हें एफआरए के तहत माना जा सकता है और सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण का कार्य किया जा सके। इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। एफआरए के उल्लंघन के बारे में मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैध दावेदारों को उनके वन अधिकारों से वंचित न किया जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाता है। राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, क्षेत्र स्तर के समन्वय मुद्दों को हल करने के लिए, इस मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को संयुक्त परामर्शी जारी की है।

(छ): यह डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। हालाँकि, बेदखली से संबंधित मामला वर्तमान में रिट याचिका 109/2008 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अनुलग्नक

"वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन" के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री राहुल गांधी और श्री राजा राम सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3325 के भाग (क), (ख), (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक:

दिनांक 28.02.2025 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार दायर दावों, वितरित अधिकार पत्रों और अस्वीकृत दावों का राज्य-वार ब्यौरा: (संचयी संख्या)

क्र. सं.	राज्य	दायर दावों की संख्या			वितरित अधिकार पत्रों की संख्या			अस्वीकृत दावों की संख्या			लंबित दावों की कुल संख्या
		व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	समुदायिक	कुल	
1	आंध्र प्रदेश	285,087	3,294	288,381	226,651	1,822	228,473	56,940	1,470	58,410	1,498
2	असम	148,965	6,046	155,011	57,325	1,477	58,802	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर	एनए/एनआर
3	बिहार	4,696	0	4,696	191	0	191	4496	0	4496	9
4	छत्तीसगढ़	888,028	53,949	941,977	478,563	49,270	527,833	397,419	3,230	400,649	13,495
5	गोवा	9,757	379	10,136	856	15	871	170	8	178	9,087
6	गुजरात	182,869	7,187	190,056	98,289	4,791	103,080	0	2,332	2,332	84,644
7	हिमाचल प्रदेश	4,880	539	5,419	513	146	659	54	0	54	4,706
8	झारखंड	107,032	3,724	110,756	59,866	2,104	61,970	26,370	1,737	28,107	20,679
9	कर्नाटक	288,549	5,940	294,489	14,981	1,345	16,326	249,060	4,209	253,269	24,894
10	केरल	44,455	991	45,446	29,139	261	29,400	12,681	296	12,977	3,069
11	मध्य प्रदेश	585,326	42,187	627,513	266,901	27,976	294,877	310,216	12,191	322,407	10,229
12	महाराष्ट्र	397,897	11,259	409,156	199,667	8,668	208,335	170,487	2,144	172,631	28,190
13	ओडिशा	691,948	31,893	723,841	461,475	8,634	470,109	144,104	532	144,636	109,096
14	राजस्थान	113,162	5,213	118,375	49,215	2,551	51,766	63,466	2,455	65,921	688
15	तमिलनाडु	33,119	1,548	34,667	15,442	1,066	16,508	12,293	418	12,711	5,448
16	तेलंगाना	651,822	3,427	655,249	230,735	721	231,456	92,744	1682	94,426	329,367
17	त्रिपुरा	200,557	164	200,721	127,931	101	128,032	68,785	63	68,848	3,841
18	उत्तर प्रदेश	92,972	1,194	94,166	22,537	893	23,430	70,435	301	70,736	0
19	उत्तराखंड	3,587	3,091	6,678	184	1	185	3403	3090	6493	0
20	पश्चिम बंगाल	131,962	10,119	142,081	44,444	686	45,130	87,333	9254	96,587	364
21	जम्मू एवं कश्मीर	33,233	12,857	46,090	429	5,591	6,020	32727	7,197	39,924	146
कुल		**4,899,903**	**205,001**	**5,104,904**	**2,385,334**	**118,119**	**2,503,453**	**1,803,183**	**52,609**	**1,855,792**	**745,659**

*****